ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः 27 /2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकःजून 6 ,2018 -

विषयः मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका (क्रिमि0) संख्याः 19037/2018 श्रीमती ऊषा जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामीला विषयक आदेश दिनांकित 29.05.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला समय पर न हो पाने अथवा उक्त के सम्बन्ध में समय से आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न हो पाने के कारण उत्पन्न होने वाली दुरुह स्थिति एवं मा0 न्यायालयों द्वारा प्रकट की जाने वाली अप्रसन्नता से आप सभी भली–भॉति अवगत हैं। मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक रिट याचिकायें इसी सम्बन्ध में योजित की जाती है, जिनमें प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने एवं पैरवी करने में राज्य की ऊर्जा एवं संसाधनों का अनावश्यक अपव्यय होता है तथा कभी–कभी उच्चाधिकारीगण को भी मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

डीजी परिपत्र सं0–70/15 दि0 20.10.15
डीजी परिपत्र सं0–65/15 दि0 16.09.15
डीजी परिपत्र सं0–60/15 दि0 19.08.15
डीजी पत्र सं0–71/15 दि0 20.10.15
डीजी परिपत्र सं0–58/14 दि0 15.09.14
डीजी परिपत्र सं0–46/14 दि0 06.07.14

आप समस्त के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु मुख्यालय स्तर से अनेक परिपत्र एवं दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पार्श्वांकित है तथा जो उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट *uppolice.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

3. सन्दर्भित रिट याचिका में मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला जनरल रूल्स क्रिमिनल के अध्याय–3 एवं मा0 उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्याःसी.एल. 42/1998 इलाहाबाद दिनांक 20.08.1998 के अनुरूप में सुनिश्चित कराये जाने विषयक, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें उल्लिखित परिपत्र संख्याः42/98 के निर्देश निम्नवत् है :–

C.L.No.42/98 Dated: Allahabad: 20/8/1998

"The Hon'ble court has noticed that the present system of service of summons is not effectively working and service upon the witness/accused persons are not being effected within the period fixed by the courts. The system is effecting the speedy trial of sessions and magisterial cases. In this regard, the court has taken the following decisions for strict compliance by all:-

1. Old practice of fixing one sessions trial for three days in continuation is revived. No other sessions trial except any formal part-heard trial in which one or two formal witnesses are to be examined should be fixed on the that day.
2. The process register as mentioned in rule 12 of chapter III OF G.R.Criminal be strictly maintained by all courts.A **police official who is receiving the summons must state his name and number in clear block letters in columns no.5 so that the responsibility be fastened upon him.**

3. Public prosecutor and D.G.C. (Criminal), as the case may be, should be asked to apply to the court for issue of summons but giving complete particulars of the witness. The summons should, thereafter be prepared and served upon the witnesses.

4. **If the police personnel are not complying with the directions of the court then appropriate action under the provision of the contempt of courts Act be initiated against them."**

4. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सन्दर्भित आदेश मे उल्लिखित जनरल रुल्स क्रिमिनल के नियम–12 के प्राविधान निम्नवत् है :

Register of processes - A register of processes shall be maintained in the form given below in all Criminal Courts.

PROCESS REGISTER

Particula of cases	*Date of order for issue of process*	*Date of despatch of process from Court*	*Description of processer and of the person/ persons to be served*	*Initial with date of Police or other officials receiving processes*	*Name of Thana or District to which process sent*	*Date fixed for return*	*Actual date of return*	*Action taken for late receipt of process*	*Remarks*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन तथा इस मुख्यालय के सन्दर्भित परिपत्रों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला समय से कराकर आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

6.6.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/जी.आर.पी.,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।